

07

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: 5(3)नविवि / 3 / 99पार्ट

जयपुर, दिनांक: 25 MAR 2017

आदेश

*ज्ञान बोर्ड*  
6/2  
16/3

राजस्थान नगर सुधार न्यास, 1959 की धारा 74, राजस्थान नगर सुधार न्यास (शहरी भूमि के नियंत्रण) नियम, 1974 के नियम 7ए, एवं राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम 1970 की धारा 60 के अन्तर्गत प्राधिकरणों/नगर सुधार न्यासों एवं आवासन मण्डल की बकाया लीज के ब्याज में छूट देने की शक्ति राज्य सरकार में निहित है।

माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा बजट वर्ष 2017-18 में घोषणा संख्या 378 में नगर निकायों/नगर विकास न्यासों/राजस्थान आवासन मण्डल/जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण की तरफ बकाया लीज राशि एकमुश्त जमा कराने जाने पर देय ब्याज राशि में 100 प्रतिशत छूट प्रदान की गयी है। इस छूट का लाभ दिनांक 01.04.2017 से 30.09.2017 तक प्रभावी रहेगा।

राजस्थान नगर सुधार न्यास, 1959 की धारा 74 एवं राजस्थान नगर सुधार न्यास (शहरी भूमि के नियंत्रण) नियम, 1974 के नियम 7ए, राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम, 1970 की धारा 60 के अन्तर्गत प्राधिकरणों/नगर सुधार न्यासों एवं आवासन मण्डल की तरफ बकाया लीज के ब्याज में छूट देने की शक्तियों का प्रयोग करने हुए राज्य सरकार एतदद्वारा बकाया लीज राशि एकमुश्त जमा कराने जाने पर देय ब्याज राशि में 100 प्रतिशत छूट प्रदान करते हैं। इस छूट का लाभ दिनांक 01.04.2017 से 30.09.2017 तक प्रभावी रहेगा।

उक्त स्वीकृति वित्त विभाग की अर्द्ध. संख्या 101700696 दिनांक: 08.03.2017 के अनुसरण में जारी की जाती है।

*(Signature)* आज्ञा से,*(Signature)* (राजेन्द्र सिंह शेखावत)

रायुक्त शारन सचिव-प्रथम

१३ प्रतिलिपि: निम्नांकित को आदर्शक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेपित है—

- (1) निजी सचिव, प्रमुख शासन रायवेद माननीय गुरुकुमारी, महोदया राजस्थान सरकार।
- (2) निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
- (3) निजी सचिव, शासन गुरुकुमारी सचिव, राजस्थान सरकार।
- (4) निजी सचिव, अतिरिक्त गुरुकुमारी सचिव, नगरीय विकास विभाग।
- (5) निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार।
- (6) निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्थायित्व शासन विभाग को मुख्यमंत्री महोदया द्वारा उक्त बजट घोषणा के संबंध में आदर्शक छूट आदेश जारी घरने हेतु।
- (7) निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक राधार विभाग, राजस्थान सरकार।
- (8) संयुक्त शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नवीनीय।
- (9) आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
- (10) सचिव, रामरता नगर विकास न्यास।
- (11) निदेशक, रायायत शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
- (12) वरिष्ठ रायुक्त विधि प्रशासनी, नवीनीय विकास विभाग, जयपुर।
- (13) अतिरिक्त गुरुकुमारी नगर नियोजक, नवीनीय विकास विभाग, जयपुर।
- (14) वरिष्ठ उप शासन सचिव नवीनीय विकास को नियामीय बैंकराईट पर अपलाज करने हेतु।
- (15) उप विधि प्रशासनी, नवीनीय विकास विभाग, जयपुर।
- (16) निदेशक सूचना एवं जनसम्झौत विभाग, राजस्थान सरकार।
- (17) शक्ति पत्रावली।

*(Signature)* रायुक्त शारन सचिव-प्रथमरायुक्त शारन सचिव-प्रथम  
16/3/17